अपना केशरी लॉज पर हुई कार्यवाही, निगम ने छठवां मंजिल को तोड़ा, कई बार दिया नोटिस जिसका लॉज मालिक ने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा

भिलाई/ भिलाई नगर पालिक निगम की तोड़फोड़ टीम ने गुरुवार को शास्त्री मार्केट में कार्रवाई की। उसने वहां अपना केसरी लॉज की निर्माणाधीन 6वीं मंजिल को तोड़ा। निगम की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। पॉवर हाउस से लगी शास्त्री मार्केट में अवैध निर्माण की लगातार शिकायत मिल रही थी। जांच करने पर पाया गया कि अपना केसरी लाज के मालिक प्रभावती गुप्ता पति शिवाजी प्रसाद गुप्ता ने निगम से केवल जी प्लस 2 यानी की तीन फ्लोर के निर्माण की अनुमति ली हुई है। इसके बाद उसने बिना अनुमति के दो मंजिला का अतरिक्त निर्माण कर लिया था। निगम ने उसे इसके लिए दो महीने में 4 बार नोटिस जारी किया था। लॉज के मालिक ने नोटिस का जवाब देने की जगह उल्टा 6 वीं मंजिल का निर्माण करना शुरू कर दिया था। जब निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद निगम के सब इंजीनियर सिद्धार्थ साहू और सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू के नेतृत्व मे तोड़फोड़ टीम ने गुरुवार दोपहर कार्रवाई की। यह कार्रवाई शाम तक चलती रही। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी व उपायुक्त सुनील अग्रहरि के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। बिना अनुमति के निर्माण करने वालों पर इसी तरह की कार्यवाही होगी।